



हुक्म

हुक्म या कायवाहा मय डीनाशयल जज 33/17 डेलाशी/मुम्बई - 2017/00069

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

21-6-18

आज यह पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अहम लेवा केस नगला बरगपुर पर पेडाडुडी तापल केलाशी व गेलापमान केलाशी व लोकेश शर्मा अपन उपस्थित पक्षकारों से वतीकी गइए पक्षकारों के भया उनके हतक पूरज को आरजी का विवाद हो किन पक्षकारों के उपा कापीका है. यह तो मूल वाद के आपपक्ष की ताश्य उनके के का रूप किपा जवेगा/ लेकिन दावा के निस्तारण नि पूरज बिरी की पक्षकारों का वर्तमान मोने के बीधवार्तित किपा जाता है तथा रिकार्ड के इन्डाज बदले जाते हैं तो पक्षकारों के अनापपक्ष मुकदमेवली बंदगी। ऐसी स्थिति में उपापपक्ष को पावेद किपा जाता डीनेत तामलता है।

शापकरी शर्मा
 पक्षकारों
 के पक्ष में
 लाल शर्मा

आत! आदेश है कि अर्चना पत्र निस्तारण का उपापपक्ष को जोरपे आह्वान निषेधात्मक पावेद किपा जाता है कि वह मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आरजी स्वयं से 208, 275, 531, 544, 545, 562, 581, 582, 585, 656, 694, 848 वाले गांव नगला बरगपुर तहसील तपक पर रिकार्ड सेव मोने की गवाअन्विति बनापे शरी पत्रावली के लाल शर्मा होकर मूल वाद को पत्रावली के लाल लेवा के है।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केस कोर्ट
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपक